मुद्रक–सैंहणा ऑफसैट प्रिन्टिंग प्रेस,सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26)

अदालत ..... सिकराय .....

.....

दमा ..... मु0नं0 .....

हुक्म	हुक्म या कार्य[illegible]ल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	[illegible]	
10.3.15	पत्रावली पेश हुई। पक्षीतों द्वारा कार्य स्थगत/P.O. [illegible] कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होने से, अगली तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 30.3.15 को पेश हो।	07.22 / 4.3.15
[illegible]	पत्रावली [illegible] कार्य स्थगत [illegible] व्यस्त/ दौरे [illegible] पेशी लगा दी [illegible] 13.4.15 को पेश हो।	
[illegible]	पत्रावली [illegible] कार्य [illegible] को पेश हो।	
[illegible]	[illegible]	

अस्वीकृत
अनुपस्थित
अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हनिशियल्स जज
	उनवान सरकार बनाम .....

अर्जी की है।

अतः अर्जी का अवलोकन कर सरकारी अभिभाषक विचार किया जाता है कि अभियोजन को बाकी कार्यवाही निर्धारण से ना मिलने बाद तक के कागजात पेश होते हैं कि के अन्तर्गत धारा 20, 60, 109, 161, 164 दण्डविधि 5 कम 2 मुजा 1 बीघा 12 बिस्वा वाले स्थान पर सम्बन्धित ने अभियोजन विभाग के अधिकारी की देख रेख में रहकर नहीं रखे तथा अर्जी के अनुसार के हिसाब से भी उचित पर मद्दे कारण अर्जी में दर्ज नहीं करी अभियोजन अधिकारी मिलाप कुमार डोमा जयपुर से बात की निर्णय नहीं गया अभियोजन अधिकारी उनके मामले में उपस्थित रहेंगे।

अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी
सिकराय (दौसा)